राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 15 / 15807 जयपुर,दिनांकः 29/12/15

परिपत्र

राज्य में राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 (The Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006) दिनांक 17.1.06 से प्रभावशील है। इस अधिनियम में सम्पत्ति के विरूपण को निषेद्य किया गया है और विरूपण करने पर सम्पत्ति के मालिक या उसके अधिभोगी को दण्डित करने का प्रावधान है। अधिनियम में अपराध कारित करने के प्रयास को भी अपराध की श्रेणी में लाया गया है और उसके लिए भीं दण्ड का प्रावधान है। विरूपण के लिए उत्प्रेरण करने पर भी उत्प्रेरक को दण्डित किये जाने का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी प्रावधानो को संज्ञेय अपराध बनाया गया है।

उक्त अधिनियम में धारा 2 (क) में विरूपण की परिभाषा दी गयी है। जिसमें सम्पत्ति की आकृति या उसके सौंदर्य को किसी भी प्रकार से क्षति पहुचाने, उसकी आकृति को विकृत करने, दूषित करने या किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने को विरूपण में शामिल किया गया है। इसी प्रकार सम्पत्ति में किसी भी भवन, झोंपडी, स्मारक, बुत (Statue), वाटर पाइप लाईन, पब्लिक रोड, ढांचा, दीवार जिसमें अहाते की दीवार, वृक्ष, फेंन्सिग पोस्ट, खम्बा या कोई भी अन्य ढांचा शामिल है जो कि राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करे।

उक्त अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि जो कोई भी लोगों की द्वष्टि में आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करेगा या वहां पर थूकेगा अथवा पेशाब करेगा या उस पर पम्फलेट, पोस्टर इत्यादि चिपकायेगा या उस पर कुछ लिखेगा या स्याही से, पेंट से या किसी अन्य पद्वार्थ से कोई लिखावट लिखेगा, सिवाय मालिक या अधिभोगी के नाम पते के, तो ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित करने का दोषी होगा तथा दण्ड का भागी होगा।

उक्त धारा के अन्तर्गत पूर्व में प्रथम अपराध की दशा में एक मास तक का कारावास या न्यूनतम एक सौ रूपये जुर्माना व अधिकतम एक हजार रूपये के जुर्माने या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में एक माह तक का कारावास अथवा न्यूनतम दो सौ रूपये एवं अधिकतम दो हजार रूपये के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित करने का भी प्रावधान वर्ष 2006 में किया गया था। किन्तु उक्त अधिनियम 2006 में दण्ड का प्रावधान न्यून होने के कारण आमजन में इसके प्रावधानों के उल्लंघन करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया। इस कारण राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्या 12) द्वारा अधिनियम 2006 की धारा 3 में उल्लेखित दण्ड में अभिवृद्धि की गई।

उक्त संशोधन उपरांत दिनांक 4.5.2015 को जारी अधिसूचना के प्रभावशील होने के पश्चात् अधिनियम 2006 की धारा में विहित अपराध के लिए निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है :–

(i) प्रथम अपराध कारित करने पर कारावास एक वर्ष तक या न्यूनतम जुर्माना पांच हजार एवं अधिकतम दस हजार तक या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

(ii) पश्चात्‌वर्ती अपराध कारित करने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम दस हजार एवं अधिकतम बीस हजार जुर्माने तक या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

यह देखने में आया है कि राज्य में सभी नगरपालिकाऐं अधिनियम के उक्त प्रावधानो के होते हुए भी सम्पत्तियो के विरूपण के मामलो में अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर रही हैं, जैसा कि गत एक वर्ष के दौरान समस्त प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं द्वारा लगभग 200 मामलों में ही कार्यवाही की गई है, जो पर्याप्त नहीं हैं। अतः उक्त अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण पालना सुनिश्चत किये जाने हेतु सभी मुख्य नगरपालिक अधिकारियों को एतद्‌द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने–अपने नगरपालिका क्षेत्रों में नियमित रूप से दौरा करें, और यह देखें कि जिस किसी भी व्यक्ति, कम्पनी, संस्था द्वारा बिना अनुमति के पोस्टर, होर्डिंग व दीवारों पर पेंटिग, अन्य प्रकार से लिखावट अथवा अन्य रूप से कुछ अंकित कर सम्पत्ति का विरूपण किया है, उनके विरूद्व राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के अधीन संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करावें एवं इस प्रकार अवैध रूप से लगाये गये पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर आदि को हटाने आदि की कार्यवाही नियमित रूप से की जावे तथा इसकी मासिक सूचना स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित की जावे।

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/15/15808-16048 दिनांक: 29/12/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर
3. संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर्स, समस्त राजस्थान
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र में उल्लेखित अधिनियम के प्रावधानों का समुचित रूप से पालन करें एवं विरूपण के मामलों में समय–समय पर कार्यवाही करें और और उक्त निर्देशो का पालना सुनिश्चित की जावे।
5. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।

29/12/15
(डॉ0 मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव